



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1980]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2010/भाद्र 31, 1932

No. 1980]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2010/BHADRA 31, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2010

का.आ. 2331(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 0.000 कि.मी. से 18.800 कि.मी. (दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा बोर्डर सेक्शन) और 18.800 कि.मी. से 93.000 कि.मी. (दिल्ली/हरियाणा बोर्डर से हरियाणा/ उत्तर प्रदेश बोर्डर सेक्शन) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 16.100 कि.मी. से 20.500 कि.मी. दिल्ली - आगरा सेक्शन (बदरपुर उपरगामी राजमार्ग सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सेक्शन कहा गया है), तक छः लेन वाले उपरगामी मार्ग के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स बदरपुर फरीदाबाद एलिवेटिड हाईवे लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हिनकोन हाऊस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुम्बई - 400083 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूखंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्वलित व्यय, विनिदत्त पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किये गये करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए नीचे की सारणियों (जिसे इसमें इसके पश्चात

उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उदगृहीत और संगृहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात् हो, समाप्ति तारीख तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात् :--

सारणी

क्र.सं.	यानों का प्रवर्ग	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रभावी प्रत्येक एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान आधार फीस की दर
(1.)	(2.)	(3.)
1.	कार, वैन और जीप	20
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	30
3.	ट्रक, बस, बहुधुरीय यान, अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी निर्माण मशीनें	60

टिप्पण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(क) "वास्तविक फीस" से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट आधार दर पर उक्त खंड के उपयोक्ताओं से प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है जो कि सम्यक रूप से सूचीबद्ध और एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।

(ख) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए उक्त करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है।

(ग) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त करार, उक्त करार के उपबन्धों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है;

(घ) "स्थानीय यातायात" से सड़क पर वाहन जन्य यातायात अभिप्रेत है जिसमें दिल्ली - फरीदाबाद सेक्शन के उक्त खंड पर सर्विस लेन और साइकिल ट्रेक (यदि कोई हो) और दिल्ली - महरौली के बीच वाहन जन्य यातायात सम्मिलित है।

(ङ) 'दिन' पद से चौबीस घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु करार में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में उनके हैं।

2. फीस का संग्रहण 18.700 कि.मी और 20.200 कि.मी पर स्थित टोल प्लाजाओं पर किया जायेगा।

3. फीस की दर तथा उसका पुनरीक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी होगा, की संगणना निम्नानुसार की जाएगी, अर्थात् :-

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रभावी आधार फीस X $\frac{\text{थो.की.सू. ख}}{\text{थो.की.सू. क}}$

जहां

- (i) थो.की.सू. क - वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के समय उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक;
- (ii) थो.की.सू. ख - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध औसत थोक कीमत सूचकांक।
- (iii) वास्तविक फीस की दर एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होंगी।

4. जब किसी यान को उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट आधार दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे और जहाँ यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो उपयोक्ता उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट दर की तीस गुना दर के समतुल्य के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात्:-

(क) ऐसे यान -

(i) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

- (क) भारत के राष्ट्रपति;
- (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
- (ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल;
- (घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
- (ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
- (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय, राज्य मंत्री अथवा लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या

- (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य में किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
- (ii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;
- (ख) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।
- (ग) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ यान ।
6. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से कोई फीस वसूल नहीं करेगा।
7. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाएगा तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नहीं करेगा ।
8. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट नहीं है ।
9. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, और सार को पुनरीक्षित फीस को प्रभाव देने से दस दिन पहले पुनः प्रकाशित करेगा ।
10. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी, पथकर चौकी से 500 मी. आगे, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी और प्रदर्शित बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए प्रदर्शित बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके ।
11. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/558/10-11/सी.ओ./जीसी बदरपुर उपरिगामी राजमार्ग (बीओटी)]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2010

S.O. 2331(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government entrusted the stretches of National Highway No. 2 from Km. 0.000 to Km 18.800 (Delhi to Delhi/ Haryana border section) and Km 18.800 to 93.000 (Delhi/ Haryana border to Haryana/ Uttar Pradesh border section) in the National capital territory of Delhi and the State of Haryana respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Badarpur Faridabad Elevated Tollway Limited having its registered office at Hincan House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the construction, operation and maintenance of 6 lane elevated highway including approaches from Km 16.100 – Km. 20.500, on Delhi – Agra section (Badarpur elevated highway section) of National Highway No. 2 in the National Capital Territory of Delhi and the State of Haryana (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any Person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section (hereinafter to be referred as the said agreement), hereby notifies that there shall be levied and collected fee at the base rate specified in column (3) of the following Table (hereinafter referred to as the said Table), on the category of vehicles specified in column (2) of the said Table, for the use of the said section and authorises the said Concessionaire to collect and retain the said fee from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date namely:-

3733GE/10-2

TABLE

S. No.	Category of vehicles.	Base rate of fee per vehicle for one way trip as on date of commercial operation (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1	Car, jeep and van.	20
2	Light commercial vehicle (LCV).	30
3	Truck, bus, multi axle vehicle, earth moving equipment and heavy construction machinery.	60

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

- (a) "actual fee" means the fee actually charged from the users of the said section on the basis of fee at the base rate as specified in column (3) of the said Table, duly indexed and rounded off to nearest rupee;
- (b) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certificate, as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the said agreement;
- (c) "termination date" means the date on which the said agreement expires pursuant to the provisions of that agreement or is terminated by termination notice;
- (d) "local traffic" means the vehicular traffic on roads on ground including service lanes and cycle tracks (if any) on the said section on Delhi - Faridabad section and also the vehicular traffic between Delhi - Mehrauli;
- (e) "day" shall mean a continuous period of twenty-four hours;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the agreement shall have the meaning respectively assigned to them in that agreement.

2. The fee shall be collected at the fee plazas located at Km 18.700 and Km 20.200.

3. The actual fee and revision thereof effective from the 1st September every year shall be computed as follows, namely:-

Base rate as on date of commercial operation X $\frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}}$

where -

- (i) WPI-A is the Wholesale Price Index as on date of commercial operation;
- (ii) WPI-B is the average Wholesale Price Index available for the year ending 31st March preceding the fee revision date;
- (iii) The actual fee shall be rounded off to the nearest rupee.

4. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay fee for multiple trips at one and a half times the rate as specified in column (3) of the said Table while crossing the toll plaza in the first trip itself and where a vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month, then the user may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in column (3) of the said Table.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

A) Vehicles-

(i) having VIP symbols or officially belonging to-

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State and the Lieutenant Governor of a Union territory;
- (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
- (f) the Chairman of Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha, the Chairman of State Legislative Council, the Speaker of State Legislative Assembly, a Minister for the Union, State, the Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislatures having the Status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle;
- (g) a Member of Parliament in the entire country, a Member of Legislative Assembly of a State, a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(ii) belonging to the winner of Gallantry award such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the competent authority for such award;

(B) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

- (C) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
6. Concessionaire shall not collect any fee from Local Traffic.
 7. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.
 8. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle which is not specified in the said Table.
 9. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language) at least ten days prior to the date of commercial operation and also ten days prior to giving effect to revised fee.
 10. The rate of fee, the category of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaint, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll plaza, 100 meters ahead of the toll plaza and at the toll plaza also and the height of display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.
 11. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/558/10-11/CO/GC Badarpur Elevated Highway (BOT)]

S. S. GULIA, Director